पी.एस.8/एलटी/002/ए एल

मेसर्स ....

....

....

....

विषयः- निविदा संख्या- पी.एस.8/एल.टी./002/ए एल दिनांक 18.08.2008
जीप के अनुबन्ध पर संचालन हेतु निविदा प्रपत्र
निविदा ('तकनीकी-बिड') खुलने की तिथि 08.09.2008 समय 15:00 बजे

महोदय,

प्रतिष्ठित ट्रैवल एजेन्सी/अन्य पार्टियों द्वारा निगम की दिन-प्रतिदिन की व्यवसायिक परिवहन आवश्यकताओं (वैयक्तिक/माल आदि) की पूर्ति हेतु एक बन्द डीजल जीप के अनुबन्धन के लिए निम्नलिखित नियम एवं शर्तों पर मोहरबंद निविदायें आमन्त्रित की जाती हैः-

नियम एवं शर्तें

निगम की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु किराये पर अनुबन्धित जीप हेतु निम्न शर्तें होंगी।

01. वाहन का माडल निविदा तिथि से पाँच वर्ष या इससे कम अवधि का होना अनिवार्य है।

02. वाहनों का अनुबन्ध एक वर्ष के लिए होगा। जो कि आवश्यकता पड़ने पर व संतोषप्रद कार्य होने पर आपसी सहमति से लागू अनुबन्धित दर व नियम-शर्तों पर पुनः एक वर्ष के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है।

03. निविदायें संलग्नक 'क' के अनुसार तकनीकी-बिड (Bid) एवमू संलग्नक 'ख' के अनुसार मूल्य-बिड (Bid) अलग-अलग मुहर बन्द लिफाफे में देना अनिवार्य है। प्रत्येक तकनीकी-बिड के साथ निविदा मूल्य का 2½ % या अधिकतम रू. 6000/- प्रति जीप की दर से (जो भी कम हो) धरोहर राशि ''भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम, कानपुर'' के पक्ष में केवल देय डिमान्ड ड्राफ्ट के रूप में जमा करना अनिवार्य है। उपरोक्त धरोहर राशि के न जमा करने पर या संलग्नक 'क' अनुसार कागजातों के न जमा करने पर निविदा अस्वीकृत कर दी जायेगी। 'तकनीकी-बिड' व 'मूल्य-बिड' संलग्नक 'ग' में दिये गये निर्देशानुसार जमा करने हैं।

क्रमशः .. 2 ..

04. वाहनों के लिए पूरा विवरण एवं मासिक किराया स्पष्ट रूप से अलग संलग्नक 'ख' के अनुसार 'मूल्य-बिड' में लिखा होना अनिवार्य है।

05. आवश्यकतानुसार वाहन को किसी भी समय एवं किसी भी दिन कार्य पर बुलाया जा सकता है। जीप अनुमानतः प्रतिमाह 1500 किमी. से 3000 किमी.की दूरी तय करेगी।

06. वाहन को प्रत्येक कार्य दिवस पर निर्देशित समय एवं स्थान पर पहुँचना अनिवार्य होगा। किन्हीं अपरिहार्य कारणों से आधा घण्टा से अधिक विलम्ब से कार्यस्थल पर पहुंचने की स्थित में वाहन को पूरे दिन की अनुपस्थित करने का पूर्ण अधिकार प्रभारी अधिकारी को होगा।

07. माइलेज मीटर की प्रारम्भिक रीडिंग प्रतिदिन फैक्ट्री गेट से या अन्यत्र जहां से निगम ड्यूटी होगी, से प्रारम्भ होगी एवं उसी दिन कानपुर नगर सीमा में अन्तिम ड्यूटी जहां समाप्त होगी वह अन्तिम रीडिंग होगी। निगम द्वारा पार्किंग स्थल से ड्यूटी प्रारम्भ व अन्तिम स्थान की वास्तविक तय की गयी दूरी (अधिकतम 8 किमी प्रति अप या डाउन) की अनुमति दी जा सकती है।

08. अनुपस्थित की दशा में वाहन मालिक को निगम के कार्य के लिये वैकल्पिक वाहन का प्रबन्ध करना होगा। जिसके न होने पर निगम द्वारा जीप का वैकल्पिक प्रबन्ध कर लिया जायेगा व उस मद में आया पूर्ण व्यय की बिल से कटौती कर ली जायेगी।

09. वाहन को प्रतिदिन एक से अधिक ड्यूटी दी जा सकती है। दी गयी किसी भी ड्यूटी पर यदि जीप नही पहुंचती है, तो मासिक बिल से अधिकतम एक दिन के किराये की कटौती प्रत्येक छोड़ी हुई ड्यूटी हेतु की जा सकती है।

10. वाहन में होने वाली किसी भी खराबी के मरम्मत की पूरी जिम्मेदारी वाहन के मालिक की होगी तथा खराबी की मरम्मत निगम के कार्य के समय में नहीं होगी। अपरिहार्य कारणों से अगर मरम्मत कार्य के समय में आवश्यक हो तो वाहन मालिक को दूसरे वाहन का प्रबन्ध करना होगा।

11. वाहन चालक एवं वाहन से सम्बन्धित सभी संवैधानिक एवं कानूनी आवश्यकताओं की पूर्ण जिम्मेदारी वाहन मालिक की होगी।

12. वाहन चालक एक लाग बुक अपने साथ रखेगा एवं प्रत्येक ड्यूटी का सत्यापन निगम के अधिकृत प्रतिनिधि से करायेगा। प्रतिमाह के बिल से भुगतान माह पूरा होने के दस दिन के अन्दर कर दिया जायेंगा। सभी वैधानिक कर/शुल्क आदि की स्रोत पर कटौती (जैसा लागू हो) पारित बिल से की जायेगीं।

13. वाहन चालक के पास सम्पर्क हेतु मोबाइल फोन होना अपेक्षित है।

14. सफल निविदादाता के साथ रू. 100/- मूल्य के नान जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध किया जायेगा। अनुबन्ध से पूर्व निविदा मूल्य का 5 % या अधिकतम रू. 12,000/- (जो भी कम हो) प्रति वाहन की दर से जमानत राशि केवल बैक ड्राफ्ट के रूप में जमा करनी होगी। निविदा के साथ दी गयी धरोहर राशि इस मद में समायोजित की जा सकती है।

क्रमशः .. 3 ..

15. निविदादाता को निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर अपने हस्ताक्षर करके सभी प्रपत्र अखंडित रूप से 'तकनीकी-बिड' के साथ संलग्न करना है।

16. मूल्य-बिड में ईंधन खपत न दिये जाने पर गणना 10 किमी. प्रति लीटर की दर से की जायेगी।

17. मूल्य-बिड में मोबिल खपत न दिये जाने पर गणना 550 किमी. प्रति लीटर से की जायेगी।

18. मूल्य-बिड में 10 घण्टे से अतिरिक्त समय रोकने का चार्ज न दिये जाने पर अतिरिक्त समय का भुगतान मासिक किरायें के अनुपात से किया जायेगा।

19. जीप को पूरे महीने में केवल एक दिन के लिये ही पूर्व अनुमति से छुट्टी दी जा सकती है। पूरे महीने में एक से ज्यादा छुट्टी लेने पर वाहन मालिक को आवश्यकतानुसार दूसरी जीप का प्रबन्ध करना होगा।

20. सभी प्रकार से पूर्ण मुहरबन्द निविदायें संलग्नक 'ग' पर दिये गये निर्देशानुसार दिनांक **08.09.2008** को अपरान्ह 14:00 बजे या इसके पूर्व तक अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में पहुँच जानी चाहिये। विलम्ब से पहुँचने वाली निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। प्राप्त निविदायें उसी दिन अपरान्ह 15:00 बजे निविदादाताओं या उनके प्रतिनिधियों की उपस्थित में निगम की टेन्डर ओपेनिंग कमेटी द्वारा संलग्नक 'ग' के अनुसार खोली जायेंगी। निगम को किसी भी निविदा को बिना किसी कारण बताये अस्वीकृत करने का अधिकार होगा।

प्रबन्धक {अनुरक्षण}
कृते भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम

संलग्नकः- उपरोक्तानुसार

संलग्नक 'क'
(निविदा सं. पी.एस.8/एल.टी./00/ए एल दिनांक 18.08.2008)

तकनीकी-बिड

निविदा सं. पी.एस.8/एल.टी./002/ए एल दिनांक 18.08.2008 के संदर्भ में अपना वाहन दी गई शर्तों पर किराये पर अनुबन्धित करने को तैयार हूँ। निविदा प्रपत्र में दी गई सभी शर्तें हमें स्वीकार हैं।

01. गाड़ी का प्रकार {अ} बंद (वातानुकूलन रहित) :
{ब} मेक {मार्शल, अरमादा, टाटा सूमो, कमान्डर आदि या अन्य}

02. माडल वर्ष {पंजीकरण तिथि का उल्लेख करें} :

03. पंजीकरण संख्या प्रमाण पत्र :

04. धरोहर राशि का विवरण :
(i) बैक ड्राफ्ट/बैकंर्स चेक नं. एवं तिथि
(ii) राशि
(iii) जारी करने वाली बैंक एवम् शाखा

05. फिटनेस प्रमाण पत्र की वैधता :

06. परिमिट का क्षेत्र एवं वैधता :

07. बीमा की वैधता :

08. चालक के अनुज्ञापत्र {लाईसेन्स} :

09. यात्री कर {प्रमाण सहित} :

नोटः- उपरोक्त सभी विवरण के प्रमाण के रूप में निविदादाता द्वारा सत्यापित फोटो प्रतिलिपियाँ संलग्न करना अनिवार्य है।

निविदादाता का हस्ताक्षर

निविदादाता का नाम एवं पूरा पता {पिनकोड सहित}

फोन नं.
मोबाइल नं.
फैक्स नं.

<u>संलग्नक 'ख'</u>

(निविदा सं. पी.एस.8/एल.टी./002/ए एल दिनांक 18.08.2008)

<u>मूल्य-बिड</u>

निविदा सं. पी.एस.8/एल.टी./002/ए एल दिनांक 18.08.2008 के संदर्भ में अपना वाहन दी गई शर्तों पर किराये पर अनुबन्धित करने को तैयार हूँ। निविदा प्रपत्र में दी गई सभी शर्तें हमें स्वीकार हैं।

01. वाहन का मासिक किराया {रू. प्रति माह} :
प्रतिदिन 10 घंटे व माह में एक अवकाश के आधार पर
{बिना ईधन एवं मोबिल आयल}

02. ईंधन (HSD) {कि.मी. प्रति लीटर} :

03. मोबिल आयल {कि.मी. प्रति लीटर} :

04. निर्धारित 10 घण्टों के अतिरिक्त ड्यूटी चार्ज :
{रू. प्रति घन्टा}

निविदादाता का हस्ताक्षर

निविदादाता का नाम एवं पूरा पता {पिनकोड सहित}

फोन नं.
मोबाइल नं.
फैक्स नं.

<u>संलग्नक 'ग'</u>

(निविदा सं. पी.एस.8/एल.टी./002/ए एल दिनांक 18.08.2008)

<u>निविदा का जमा करने हेतु अति आवश्यक निर्देश</u>

01. निविदा दो भागों {भाग-1 व भाग-2} में अलग-अलग मुहरबन्द लिफाफों में तकनीकी-बिड (Bid) एवं मूल्य-बिड (Bid) मोटे अक्षरों में इंगित करते हुए जमा की जानी है।

02. निविदा प्रपत्रों का जमा करना निम्नानुसार होगाः-

(i) भाग-1 (तकनीकी-बिड) एक उचित माप के लिफाफे में मोटे अक्षरों में तकनीकी-बिड, निविदा संख्याः पी.एस.8/एल.टी./002/ए एल दिनांक 18.08.2008 इंगित करते हुए संलग्नक 'क' के अनुसार धरोहर राशि के साथ एक पृथक मुहरबन्द लिफाफे में रखना है।

(ii) भाग-2 (मूल्य-बिड) एक उचित माप के लिफाफे में मोटे अक्षरों में मूल्य-बिड, निविदा संख्याः पी.एस.8/एल.टी./002/ए एल दिनांक 18.08.2008 इंगित करते हुए संलग्नक 'ख' के अनुसार दूसरे पृथक मुहरबन्द लिफाफे में रखना है। मूल्य-बिड में दी गयी दरों में शुद्ध दर (Nett Rate) व लागू कर/ सेवाकर, जो हों, का अवश्य उल्लेख करें अन्यथा उनको 'शुद्ध दर सभी कर सम्मिलित' माना जायेगा।

03. उपरोक्त 2(i) व 2(ii) के 'तकनीकी-बिड' व 'मूल्य-बिड' के मुहरबन्द लिफाफों को एक तीसरे मुहरबन्द लिफाफे में रखकर पुनः टेन्डर संख्या व मोटे अक्षरों में लिखी हुई अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में निर्धारित अवधि में जमा करना अनिवार्य है। **'तकनीकी-बिड' व 'मूल्य-बिड' एक ही लिफाफे में रखने पर निविदा अस्वीकृत कर दी जायेगी और उस पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।**

04. **टेन्डर प्रपत्र में दी टेन्डर खलने की तिथि 08.09.2008 को केवल 'तकनीकी-बिड' खोली जायेगी।** तकनीकी-बिड आधार पर स्वीकृत निविदादाताओं की 'मूल्य-बिड' किसी अन्य निर्धारित तिथि, जिसकी सूचना सम्बन्धित निविदादाताओं को पूर्व में दी जायेगी, पर निगम की टेन्डर ओपनिंग कमेटी द्वारा खोली जायेगी। 'तकनीकी-बिड' व 'मूल्य-बिड' के खुलने के समय केवल सम्बन्धित निविदादाता या उनके अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हो सकते है।